न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	18/22	2022/132	23.01.2022	सरकार बनाम शिम्भूदयाल अग्रवाल	26.02.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2022 (2022/132)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. श्री शिम्भूदयाल अग्रवाल पुत्र श्री किरोड़ीलाल अग्रवाल (विक्रेता एव प्रोपराइटर) मैसर्स पंकज एण्ड सस इन्द्राबाजार, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर। निवासी वार्ड नं० 30 जज के बंगले के पीछे नर्सिंह कॉलोनी गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर।– अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 26.02.2026

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध के तहत दिनाक 27.07.2022 को दोपहर 02:15 पी एम पर उक्त सस्थान पर पहुंचा एवं सस्थान का निरीक्षण किया। सस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु काउंटर पर 3 खुल्ले घी के टिन रखे थे। इन खुल्ले से नये प्लास्टिक के डिब्बो में डाल कर घी विक्रय किया जा रहा था। इना खुल्ले टिनो में रखे घी (लूज) में गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमुन जॉच दो टिनो में से 1–1 किलो घी एक नये प्लास्टिक डिब्बे में लेकर उसको हिल मिला कर एकरूप कर उसमें से 2 लीटर खरीदकर उसकी कीमत 1000/– रुपय विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान विष्णु गुप्ता (पडोसी) एवं आशीष कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर घी (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (लूज) को प्रत्येक डिब्बे मे बराबर–बराबर डाला एव डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एव क्रमाक H–2369 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वय ने हस्ताक्षर किये एव विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित [illegible] एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप [illegible] H–[illegible] नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक [illegible] को धागे से बाँध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ता[illegible] नियमानुसार इस प्रकार [illegible] कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों घर आवें। चारों नमूना भागो [illegible] नियमानुसार गवाहान [illegible] हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:30:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर बिक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शिम्भूदयाल अग्रवाल (विक्रेता एव प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स 5ए की एक प्रति श्री शिम्भूदयाल अग्रवाल (विक्रेता एव प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। नमूनीकरण के पश्चात सस्थान में मिलावटी घी रखा होने के कारण एव खाद्य अनुज्ञा पत्र के स्थान पर खाद्य रजिस्ट्रेशन होने के कारण अभिहित अधिकारी को सूचित कर मौखिक निर्देश प्राप्त कर सस्थान को मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर की रिपोर्ट आने तक सीज व सील किया गया। फार्म स 5ए एव फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न छ की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील गोहर कर श्री बुद्धिप्रकाश मीणा सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म से 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/15 दिनाक 18.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट सं. एलएस/2503/एक्ट/2022/2545 दिनाक 08.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड **as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 This sample is also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat** प्रकृति का होना पाया गया है, साथ ही खाद्य सु रक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अर्न्तगत जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड **as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 This sample is also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा **2(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाइसेंस ... उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है जो ... की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर ... करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जाच रिपोर्ट सं. एलएस/2503/एक्ट/2022/2545 दिनाक 08.08.2022 की रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 2503 / Act / 2022 / 2545 Date: 08-08-2022

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee" bearing Code number and Serial number H-2369 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 28-07-2022 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-08-2022 to 08-08-2022 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic container.

(2) Physical appearance : - Light yellow coloured thick fatty liquid.

(3) Label : - Loose sample.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	51.9	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	---do---	4.98	Minimum 24.0
3.	Free fatty acid as Oleic acid.	---do---	0.21%	Max.=2%
4.	Moisture.	---do---	0.03%.	Max. =0.5%.
5.	Iodine value	---do---	77.82	25-38
6.	Saponification value	---do---	204.86	205-235
7.	Polenske value	---do---	0.36	0.5-2.0
8.	Baudouin test.	---do---	Positive	Should be negative.
9.	Test for Mineral oil.	---do---	Negative.	Should be negative.
10.	Added colouring matter.	---do---	Absent.	Absent.
11.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee" bearing Code No. and Sr. No. H-2369 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.This sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 08th day of August 2022

Food Analyst (Authorized Signatory)

SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY Commissionerate of Food Safety and Drug Control, A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 This sample is also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 This sample is also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested